भारत अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (आईआईएसी)

भारत अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (आईआईएसी) की स्थापना भारत अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 (यथासंशोधित) के द्वारा दिनांक 13.6.2022 की अधिसूचना के माध्यम से संस्थागत माध्यस्थम को सक्षम बनाने तथा एक स्वतंत्र और स्वायत्त निकाय बनाने के लिए की गई है। आईआईएसी राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ माध्यस्थम की कार्यवाही के लिए सुविधाएं और प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, मध्यस्थों का एक पैनल बनाना और अध्ययन को बढ़ावा देना तथा माध्यस्थम, मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान मामलों के क्षेत्र में शिक्षण कार्य करना है।

सहायता अनुदान का विवरण

क्र.सं.	अनुदानग्राही निकाय का नाम	अनुदानग्राही निकाय का प्रकार (स्वायत्त/एनजीओ आदि)	अनुदान का प्रकार (आवर्ती/गैर आवर्ती)	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वितरित राशि	उद्देश्य (योजना आदि का नाम)
1.	भारत अन्तर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (आईआईएसी)	स्वायत्तशासी (सांविधिक)	आवर्ती	2.25 करोड़ रुपये	वेतन और सामान्य प्रयोजन